न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 152/2011/ जिला–अजमेर (2011/00039)

बाबू सिह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी तेलाड़ा तहसील भिनाय जिला अजमेर।

———अपीलांट

बनाम

1. दयावती पत्नी नारायणलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. हीरालाल पुत्र समरथ सिंह जाति महाजन निवासी भिनाय तहसील जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

————रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, भिनाय दिनांक 14–07–2011
प्रकरण संख्या 03/2011 बउनवान श्रीमति दयावती बनाम
श्री हीरालाल व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री आर.पी.शर्मा अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह रावत अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 10.1.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 33, 32, 37, 39, 47, 26, 48/1594 कुल किता 7 वाके स्थित ग्राम तेलाड़ा में उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दर्ज किया जावे। तहसीलदार, भिनाय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गैर कानूनी रूप से अपने निर्णय दिनांक 14–7–2011 से स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलांट बाबू सिंह के हिस्से की आराजियात है, जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त आराजियात बाबत एक वाद हीरालाल के दादा साहनलाल व अपीलांट बाबू सिंह के पिता राम सिंह के मध्य सोहन सिंह बनाम राम सिंह नाम से मुकदमा नम्बर 64/79 चला, जो राजीनामें से निस्तारित हुआ एवं दोनों पक्ष राजीनामें से आपस में सहमत हुए तथा प्रकरण में दिनांक 19–3–80 को राजीनामें से डिक्री जारी की गई। उक्त बिन्दु पर गौर नही कर अधिनस्थ नयालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसके नाम नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश पारित कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलाट बाबू सिंह के पिता राम सिंह ने एक घोषणा का वाद संख्या 113/2002 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया जो विचाराधीन था तत्पश्चात क्षैत्राधिकार के कारण उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को स्थानान्तरित कर दिया गया। दिनांक 19–12–2010 को वादी रामसिंह राजपूत का निधन हो गया। प्रकरण शहादत वादी में था, दिनांक 21–1–2011 को उक्त राजस्व वाद संख्या 5/2010 अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया। इसके पश्चात रामसिंह के वारिसान ने आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद के विचाराधीन रहते नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त राजस्व वाद के विचाराधीन रहते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृति का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–7–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है जिसका कब्जा रेस्पोन्डेन्ट्स को प्राप्त हो गया था एवं आज विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज है। अपीलांट के पिता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष दर्ज विचाराधीन वाद दिनांक 21–1–2011 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। उक्त प्रकरण में कोई वाद विचाराधीन नहीं है तथा न ही कोई निषेधाज्ञा प्रभावी है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लेने का प्रस्तुत किया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–7–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष हीरालाल के दादा सोहनलाल व अपीलांट बाबू सिंह के पिता राम सिंह के मध्य सोहनसिंह बनाम राम सिंह के नाम से मुकदमा नम्बर 64/79 चला जो राजीनामे से निस्तारित हुआ जिसके आधार पर प्रकरण में डिक्री जारी की गई। जिसमें अंकित किया गया था कि विवादग्रस्त आराजियात (पुराना खसरा नम्बर 52 रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा 10 बिस्वांसी) के पश्चिमी हिस्से की 2 बीघा 14 बिस्वा आराजियात प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में एवं शेष रकबा वादीगण के कब्जे काश्त में एवं चाह का आधा हिस्सा वादीगण का एवं आधा हिस्सा प्रतिवादीगण का रहेगा। तहसीलदार, भिनाय द्वारा डिक्री में अंकित आदेश को अनदेखा कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। विवादग्रस्त आराजियात बाबत उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष विचाराधीन वाद में वादी रामसिंह का निधन दिनांक 21–1–2011 को हो जाने से उनके द्वारा प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में रामसिंह के वारिसान ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन रहने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भिनाय ने रेस्पोन्डेन्ट्स के हक में नामान्तरकरण स्वीकृति के आदेश पारित कर दिये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट्स का श्री रामसिंह की विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। जब तक विचाराधीन वाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) भिनाय ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–07–2011 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) भिनाय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–07–2011 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 03/2011 बउनवानी दयावती बनाम हीरालाल विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर